संख्या- 67/2026/ 1246 /26-3-2026-1353690

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल 2026

विषय - **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-70-71/स0क0/ए0टी0एस0/बजट स्वीकृति/अनुसं0-83/2026-27 दिनांक 15-04-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 38725.67 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु **रू0 9681.41750 लाख (रू0 छियान्वे करोड़ इक्यासी लाख इक्तालीस हजार सात सौ पचास मात्र)** की निम्नवत् तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अग्रलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्ष: 2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रथम त्रैमास हेतु निर्गत धनराशि
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	01 (वेतन)	5,75,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचहत्तर लाख मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	02 (मजदूरी)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	3,73,75,000 रुपये तीन करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	04 (यात्रा व्यय)	1,07,250 रुपये एक लाख सात हजार दो सौ पचास मात्र

083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	43,250 रुपये तैंतालीस हजार दो सौ पचास मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	06 (अन्य भत्ते)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	07 (मानदेय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	08 (कार्यालय व्यय)	23,50,000 रुपये तेईस लाख पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	09 (विद्युत देय)	2,25,00,000 रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	10 (जलकर / जल प्रभार)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	29 (अनुरक्षण)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र

083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	39 (औषधि तथा रसायन)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	41 (भोजन व्यय)	34,00,00,000 रुपये चौंतीस करोड़ मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	42 (अन्य व्यय)	87,50,000 रुपये सतासी लाख पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	36,250 रुपये छत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	5,50,000 रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	49 (चिकित्सा व्यय)	6,25,000 रुपये छह लाख पच्चीस हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	51 (वर्दी व्यय)	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	55 (मकान किराया भत्ता)	12,55,000 रुपये बारह लाख पचपन हजार मात्र
083	2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	35,00,00,000 रुपये पैंतीस करोड़ मात्र
	महायोग		96,81,41,750 (रुपये छियानबे करोड़ इक्यासी लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर

व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनॉक 28-03-2026, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनॉक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 25-03-2026
18:06:25
(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।